

14/3/18

वकील वादी एवं वादी स्वयं अनुपस्थित। प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी एवं वादी के वकील को आज इजलाश उठने तक बार बार आवाजे लगावाई गई। परन्तु उनकी हॉर से कोई एजिर नहीं वकील प्रतिवादी उठने आया कि वी शेष प्रतिवादी एजिर नहीं उपरोक्त स्थिति में पुस्तक लाजिकर रखना न्यायोचित उचित नहीं होगा।

नोट: वाद पत्र वादि व उनके वकील की अदम एजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फासल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम है। वाद तामील वकमील लेकर पत्रावली खारिज करता है।

(सुरेश चावला)

उपायुक्त अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसुदा (अजमेर) राज०

